Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300028

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीधार

[illegible] UKPDE2024090300028 From 16 Feb 2023 10-Jan-2024 11:42:53AM

Appointment Date: 10 Jan 2024 | Appointment Time:11:30 a.m to 12:30 p.m | Appointment TokenNo:5

Deed/Article Type: Lease

Sub-Deed/Sub-Article: Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index: ग्रामीण -B 4 आगराखाल-नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList: ग्रामीण -B 4 आगराखाल-नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग

Khewat

Khatoni: 00026 00023 00030

Khasra: 253 157 153 154 151 M 148 279 281 280

House/Flat No

Area: 2,677.0000 वर्ग मीटर

Latitude: -

Longitude: 0.0000000000

Land Value: 0.00

Construction Value: 0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance: 0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent: 5,113.00

Stamp Duty :7,400.00

Regn Fees :3,700.00

Pasting Fees: 100

Page: 30

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	दशा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं.	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	3,700.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं.	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	7,400.00	-	10-Jan-2024	15

विजयसिंह महावीर

Appointment Date. 10 Jan 2024 Appointment Time.11:30 a m to 12.30 p m Appointment TokenNo 5

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम-ग्वाल्दी, पट्टी-[illegible] तहसील-[illegible] जिला-टिहरी गढ़वाल	विक्रम सिंह	Self employed		9897501756	ADHAAR 460029151389
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी ग्राम-ग्वाल्दी, पट्टी-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-टिहरी गढ़वाल	महावीर	Self employed		9927310153	ADHAAR 482654097227
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री राम सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम-ग्वाल्दी, पट्टी-[illegible] तहसील-[illegible] जिला-टिहरी गढ़वाल	रामसिंह	Self employed		9119017309	ADHAAR 837454597755
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम-[illegible], जिला [illegible] तहसील [illegible] पौड़ी गढ़वाल	[illegible]	Self employed		9917408782	ADHAAR 595993731535
गवाह	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] कुमार निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला हरिद्वार	[illegible]	Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921235430
गवाह	श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम-[illegible] पट्टी-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-टिहरी गढ़वाल	[illegible]	Self employed		7409391389	ADHAAR : 233580095312

Deed Writer /Advocate Name .D.Dumoga Adv

भारत सरकार
Government of India

विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1983
पुरुष / Male

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जखन्धार, खांडी मय मरोड़ा, खांडी माया कफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123

Address: JAKHNIDHAR, Khandi may maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal, Uttarakhand, 249123

4605 2915 1389

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

महावीर सिंह
MAHAVEER SINGH
पिता : पूर्ण सिंह
Father : PURNA SINGH
जन्म तिथि / DOB : 26/04/1996
पुरुष / Male

4626 5406 7227

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: -, -, जखन्धार, खांडी मय मरोड़ा, खांडी माया कफाली, जखन्धार, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123

Address: -, -, JAKHNIDHAR, KHANDI mai MARODA, Khandi Maya Kafali, Jakhnidhar, Tehri Garhwal, Uttarakhand, 249123

4626 5406 7227

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

राम सिंह
Ram Singh
जन्म तिथि / DOB : 15/04/1973
पुरुष / Male

8974 0459 7755

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: भोला सिंह, खंडी माया कफाली, टिहरी गढ़वाल, जखिन्धार, उत्तराखंड, 249123

Address: S/O: Bhola Singh, Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal, Jakhnidhar, Uttarakhand, 249123

8974 0459 7755

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सुमित बहुनी
Sumit Bahuni
जन्म तिथि / DOB : 21/05/1994
पुरुष / Male

5959 9379 1536

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: जय प्रकाश नारायण, शीलडांडा, सीला मल्ला, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, 246128

Address: S/O: Jai Prakash Narayan, sheeladanda, Seela Malla, Pauri Garhwal, Uttarakhand, 246128

5959 9379 1536

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

2789 2129 5430
VID : 9170 5987 1646 0133
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निजामपुर, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 247670

Address:
S/O Satesh Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670

2789 2129 5430
VID : 9170 5987 1646 0133
1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

गुड्डू सिंह
GUDDU SINGH
जन्म तिथि/DOB: 05/11/1974
पुरुष/ MALE

2386 8009 5312
VID : 9195 2651 4351 4317
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
C/O: हुकम सिंह, कोट, टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखंड - 249123

Address:
C/O: Hukam Singh, Kot, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

2386 8009 5312
VID : 9195 2651 4351 4317
1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालयः उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर ,जनपद–टिहरी गढ़वाल।
फोन नं0 – 01378–227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 503 /उरेडा/मु.मं. सौर स्व0यो/सं0प0/ 2023–24 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा मे,

सुमित
सीलकाण्डा शीला मल्ला
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः–" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तो के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं0	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या–	2030
02.	संयत्र की क्षमता	200 कि0वा0
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू0 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	कॉडी, विकास खण्ड–जाखणीधार, टिहरी गढवाल।
04.	संयत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयत्र से उत्पादित विद्युत के क्रय की अवधि	संयत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षो तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एंव पत्र संख्या– 1058/I-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभॅति भिज्ञ है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/–, 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/– एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/–) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

विक्रम सिंह महावीर P.O

03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।

04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगें।

06. मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत हैः-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयन्त्र का बीमा अपने व्यय पर स्वंय कराया जाना होगा।

10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।

12. परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटी एंव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध / करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद–विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी / जिम्मेदार नहीं होगा।

14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एंव लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त https://investuttarakhand.uk.gov.in पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एंव लाभ प्राप्त नहीं होगें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
उरेडा–टिहरी(नरेन्द्रनगर)

विक्रम सिंह महावीर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK96951002879878W
Certificate Issued Date	:	04-Jan-2024 03.55 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122960400522233039541W
Purchased by	:	SUMIT BALUNI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VIKRAM SINGH MAHAVEER SINGH RAM SINGH
Second Party	:	SUMIT BALUNI
Stamp Duty Paid By	:	SUMIT BALUNI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	6,800 (Six Thousand Eight Hundred only)

0005167069

Verified & Locked

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No	:	IN-UK98005161954052W
Certificate Issued Date	:	10-Jan-2024 11:41 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122960402632035873905W
Purchased by	:	SUMIT BALUNI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-KHANDI PATTI-JAKHNIDHAR TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VIKRAM SINGH MAHAVEER SINGH RAM SINGH
Second Party	:	SUMIT BALUNI
Stamp Duty Paid By	:	SUMIT BALUNI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	600 (Six Hundred only)

0005167097

Verified & Locked

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) जनवरी 2024 माह के 10 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह (Adhar no-460529151389) (Mob-9897501756), एवं महावीर सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह (Adhar no-462654067227) (Mob-99273101537), एवं श्री राम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द उर्फ भोला सिंह (Adhar no-897404597755) (Mob-9119017309),सभी निवासीगण ग्राम–खान्दी, पट्टी–खास, तहसील– जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन–249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होगें।

एवं

सुमित बलूनी पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण (Adhar no.595993791536) (Mob.-9917408782) निवासी ग्राम– सिलाडांडा सिला मल्ला तहसील–लैंसडाउन, पौडी गढवाल जिला– पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन–246128 –जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

विक्रम महावीर

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 10 वर्ष 2024

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00

औसत वार्षिक

किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 3700.00	रु0 100.00	रु0 300.00	रु0 4100.00	1000

श्री सुमित बलूनी पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण निवासी ग्राम-सिलाडांडा, सिला मल्ला तहसील लेन्स्डौन पौड़ी गढ़वाल ने आज दिनांक 10 Jan 2024 समय मध्य 12PM व 1PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।

सुमित बलूनी

उपनिबन्धक
जाखणीधार
10-Jan-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल \ श्री महावीर सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल \ श्री राम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द उर्फ भोला सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री सुमित बलूनी पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण निवासी ग्राम-सिलाडांडा, सिला मल्ला तहसील लेन्स्डौन पौड़ी गढ़वाल \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी निजामपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार तथा श्री गुड्डू सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम-कोट पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल ने की।

उपनिबन्धक
जाखणीधार
10-Jan-2024

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खांदी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00026 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 253 रक्बा 0.0400 हे0, एवं खेत नं0- 157 रक्बा 0.0400 हे0, खेत सं0- 153 रक्बा 0.0160 हे0, खेत सं0- 154 रक्बा 0.0330 हे0, खेत सं0-151 मध्ये रक्बा 0.0220, हे0 कुल 05 खेत कुल रक्बा 0.1510 हे0 यानि 1510 वर्ग मीटर भूमि तथा खतौनी खाता सं0- 00023 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत सं0- 148 रक्बा 0.0617 हे0 तथा खतौनी खाता सं0- 00030 फसली वर्ष 1428-1433 खेत सं0-279 रक्बा 0.0240 हे0, खेत सं0- 281 रक्बा 0. 0150 हे0 खेत सं0-280 रक्बा 0.0160 हे0 कुल 03 खेत कुल रक्बा- 0. 0550 हे0 याने 550 वर्ग मी0 भूमि सभी खातों का कुल रक्बा- 0.2677 हे0 यानि 2677 वर्ग मी0 भूमि का पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तो व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं0-503/उरेड़ा मु0मं0 सौर स्व0यो/2023-24 दिनांक 22.12.2023 के कम में 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।

2. यह कि पट्टा दिनांक 04.01.2024 से प्रारम्भ होकर 03.01.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु0 4200 रू0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्वि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

महावीर

रा० सिं० राम सिंह

विक्रम सिंह

वही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 10 वर्ष 2024

विक्रम सिंह

महावीर सिंह

राम सिंह

सुमित बलूनी

सुमित सैनी

गुड्डू सिंह

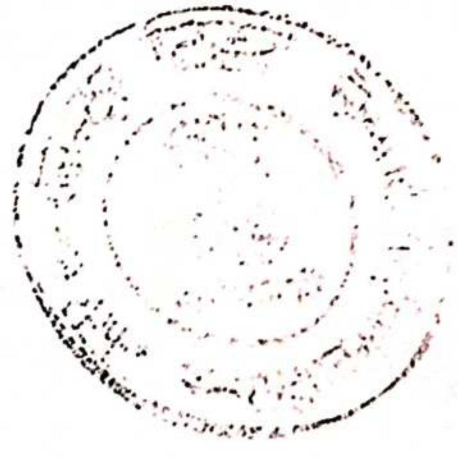

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
10 Jan 2024

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 56217 रू0 निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 5,62,170 रू0, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,18,387 रू0 तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 476158 रू0 याने कुल 27 वर्ष का किराया मु0 16,56,715 रू0 तथा औसत वार्षिक किराया 61,360 रू0 होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5,113 रू0 होता है जनवरी 2024 तक किराया अदा किया जा चुका है। एवं प्रत्येक अप्रैल माह में किराया अदा करना होगा।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय–समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुवन्ध की अवधि के दौरान अनुवन्ध को ऋणदाता वैंक की अनुमति के विना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विकय नहीं कर सकेंगे।

महावीर
ह0 कि राम सिंह
किशन

8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा–150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक किराया मु0 61,360 रू0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 3,68,160 रू0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 7400 रू0 अदा किया गया है।

10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को प्रयोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटि/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।

विक्रम सिंह महावीर

11. यह कि पट्टादाता के द्वारा सुमित बलूनी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित
इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष
उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के
विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land
Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी
प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumberance) पट्टादाता के द्वारा नही
लिया जायेगा।

12. यह कि पट्टादाता एवं सुमित बलूनी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह
भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक
उस बैंक, जिसके द्वारा सुमित बलूनी को 200 कि0वा0 क्षमता के सौर
ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की
सहमति के बिना समाप्त नही किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक
के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि
पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं सुमित बलूनी की आपसी
सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

13. यह कि पट्टादाता एवं सुमित बलूनी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह
भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 04.01.2024 से प्रारम्भ
होकर 03.01.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी
गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।

14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा सुमित बलूनी, पट्टेदार को Defaulter
घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख
(Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर
सकता है।

15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर
ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।

16. यह कि पट्टादाता एवं सुमित बलूनी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस
भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक–1
के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई है:–

पूर्व:– जय प्रकाश की भूमि।
पश्चिम:– कौशी देवी की भूमि।
उत्तर:– राम सिंह की भूमि।
दक्षिण:– बीरबल सिंह की भूमि।

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (विक्रम सिंह) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (महावीर सिंह) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (राम सिंह) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

महावीर

नि. राम सिंह

विक्रम

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दाये हाथ की अगुलियों के निशान					
बाये हाथ हाथ की अंगुलियों					

अतः आज दिनांक 10.01.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

रचियता

देवेन्द्र सिंह दुमोगा

एडवोकेट

गवाह

1. सुमित सैनी पुत्र सतीश कुमार, निवासी निजामपुर तहसील रुडकी जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
   आधार नं0-278921295430 Mob-9675988009

2. श्री गुड्डू सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी-ग्राम-कोट, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।
   आधार नं0- 238680095312 Mob.7409391388

बही संख्या 1 जिल्द 48 के पृष्ठ 169 से 198 पर क्रमांक 10 पर आज दिनांक

10 Jan 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Saini

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,जाखणीधार
10 Jan 2024